

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या- 25/2018-19

फैक्स नं०-2224529

9. सभी निविदा एकल बीड पद्धति से प्राप्त की जायगी ।
10. निर्माण/मरम्मत कार्य का व्यौरा :

कृ०पृ०उ०....२/

	सहित विशेष मरम्मत कार्य ।		6.62	13300
11.	दरभंगा जिलान्तर्गत कमतौल थाना भवन का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मत कार्य ।	दरभंगा	9.27	18600

B. 05/11/18
 A-E BOD
 05/11/18
 05/11/18
 05/11/18
 05/11/18
 05/11/18
 05/11/18

12.	दरभंगा जिलान्तर्गत मैगजीन के रूम, रैक एवं स्ट्रॉग रूम का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	दरभंगा	7.30	14600	1250	1 माह
13.	गोपालगंज जिलान्तर्गत पुलिस लाइन गोपालगंज में बैरक की विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर	4.60	9200	750	1 माह
14.	भागलपुर जिलान्तर्गत सी0टी0एस0 नाथनगर में बैरक सं0-04 का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मत कार्य।	भागलपुर	8.88	17800	1250	2 माह
15.	भागलपुर जिलान्तर्गत सी0टी0एस0 नाथनगर में बैरक सं0-05 का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मत कार्य।	भागलपुर	8.88	17800	1250	2 माह
16.	भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर पुलिस लाइन में 20 सिपाही बैरक का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	भागलपुर	6.83	13700	1250	1 माह
17.	भागलपुर जिलान्तर्गत भागलपुर पुलिस लाइन में चालक बैरक का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	भागलपुर	8.88	17800	1250	1 माह
18.	बाँका जिलान्तर्गत शम्भूगंज थाना भवन का मरम्मत कार्य।	भागलपुर	4.21	8500	750	1 माह
19.	बाँका जिलान्तर्गत आनन्दपुर ओ0 पी0 थाना भवन का मरम्मत कार्य।	भागलपुर	4.67	9400	750	1 माह
20.	बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया थाना चहारदिवारी का मरम्मत कार्य।	भागलपुर	4.12	8300	750	1 माह
21.	बाँका जिलान्तर्गत चन्दन थाना पुलिस कर्मियों का मरम्मत कार्य।	भागलपुर	4.52	9100	750	1 माह
22.	बाँका जिलान्तर्गत बाँका थाना में पुलिस कर्मियों का मरम्मत कार्य।	भागलपुर	3.21	6500	750	1 माह

11. निविदा वैधता की अवधि 120 दिन होगी।
12. निविदा में परिमाण विपत्र से 10% से अधिक कम दर उद्धृत करने वाले निविदादाता की निविदा अमान्य मानी जायेगी। परिमाण विपत्र की दर से कम दर देने वाले निविदादाता से Additional Performance gurantee रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि लिया जाएगा।
13. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यावधि में देखी जा सकती है। इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है।
14. अग्रधन की राशि 6/5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (आठवां निर्गम)/ बैंक ड्राफ्ट एवं किसान विकास-पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित हो, उपरोक्त कंडिका सं0-4 में अंकित तिथि तक का बना हुआ ही मान्य होगा। पर्याप्त अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी।
15. परिमाण-विपत्र बिक्री के समय सम्वेदक निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे एवं उनकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :-आयकर पैन नं0, GST निबंधन, उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र तथा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र। निविदा के साथ भी उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण-पत्रों की पठनीय स्वप्रमाणित फोटो प्रति देना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी। अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा।
16. लोक सेवक निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।
17. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ ही दर प्रक्रमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
18. निगम द्वारा अनुमोदित विशिष्ट का सीमेंट एवं स्टील सम्वेदक स्वयं आपूर्ति करेंगे। सीमेंट आई0एस0 8112-1989, आई0एस0 455-1989 छड़ बी0आई0एस0 1786 के अनुरूप होना चाहिए तथा आई0एस0ओ0 9001/9002, आई0एस0ओ0 14001-1996 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
19. किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी।
20. किसी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार निगम को सुरक्षित होगा।
21. कार्य की प्राक्कलित राशि में कमी या वृद्धि हो सकती है, तदनुसार परिमाण-विपत्र के अनुसार अग्रधन की राशि देय होगी।
22. अग्रधन के संबंध में तथा अन्य शर्तें परिमाण विपत्र के साथ दस्तावेज में देखी जा सकती है।
- 23(क) निविदा में भाग लेने हेतु कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप प्रावधानित ठीकेदारी पंजीकरण कराना निगम में आवश्यक होगा, जिसका पंजीकरण शुल्क 3000/- (तीन हजार रुपये) होगी। संवेदक 15.00 लाख तक की निविदा में ही भाग ले सकते हैं। जो संवेदक पूर्व से निगम में निबंधित हैं, वे निविदा में भाग ले सकते हैं। उन्हें पुनः निबंधन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

- 23(ख) अन्य सरकारी विभाग यथा- सभी कार्य विभाग, योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, निगम, उपक्रम, प्राधिकरण, परिषद् एवं निकाय के निबंधित सम्वेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
24. निम्न संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे :- (i) डिवार (Debar) या काली सूची में दर्ज, (ii) जिनके पास एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लम्बित हो, (iii) जो संवेदक कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा नहीं किए हैं एवं (iv) जो संवेदक कार्य आवंटन के बाद एकरारनामा कर लिए हों, परन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं किए हों।
25. विद्युतीकरण कार्य (परिमाण विपत्र के अनुसार) सहित भवन की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र (मूल में) समर्पित करना अनिवार्य होगा। सिर्फ विद्युतीकरण कार्य के लिए विद्युतीकरण कार्य का स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा।
26. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि या निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा।
27. परिमाण विपत्र का मूल्य राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के द्वारा उपरोक्त कंडिका सं0-3 में अंकित तिथि तक का ही बना हुआ स्वीकार होगा, जो महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम (प्रा0 लि0) के नाम से हो एवं पटना में भुगतये हो।
28. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है।
29. निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे एवं यथा निदेशित अभिलेखों पर हस्ताक्षर करेंगे।
30. निविदा कागजात अध्याय-6 कंडिका-6.11 में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए सभी कागजातों की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।
31. निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में संलग्न सभी कागजातों पर वायें तरफ हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
32. संवेदक द्वारा निविदा कागजात एवं आवश्यक अग्रधन की राशि के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगी।
- (i) उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र।
 - (ii) साझेदार फार्म कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।
 - (iii) पैन कार्ड की छायाप्रति।
 - (iv) GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - (v) चरित्र प्रमाण पत्र।
33. निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र (मूल में) समर्पित करना अनिवार्य है-
- (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
 - (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
 - (ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
 - (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है। उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख', एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
34. निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। कार्य से सम्बन्धित पूर्ण विवरणी परिमाण विपत्र में देखी जा सकती है। आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान होगा।
35. संवेदक, कार्यस्थल, प्राक्कलन क्वैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लें। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

कृ०पृ०उ०...4/

ज्ञापांक- एच0क्यू- 4267

पटना, दिनांक- 6/11/2018

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल- पटना/मगध कैम्प डेहरी ऑन सोन/ पूर्णियाँ/ दरभंगा/ मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर एवं भागलपुर प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 4267

पटना, दिनांक- 6/11/2018

प्रतिलिपि- मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियन्ता, प्रमंडल- एवं मोनिटरिंग/ विद्युत/ सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 4267

पटना, दिनांक- 6/11/2018

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, रोहतास/ पटना/ नवादा/ कटिहार/ मधुबनी/ दरभंगा/ गोपालगंज/ सारण/ भागलपुर/ एवं बाँका को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

Bined

6/11/18

6/11/18

6/11/18

6/11/18